न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 08/2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री गोपाल लाल अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द अग्रवाल एफबीओ मैसर्स :–रमेश चन्द गोपाल दास, ग्राम पोस्ट गढ हिम्मतसिंह मण्डावर जिला दौसा पिन कोड 321609

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांकः–07.01.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी ने दिनांक 23.08.2023 को प्रातः 09.00 बजे मैसर्सः– रमेश चन्द गोपाल दास, ग्राम पोस्ट गढ हिम्मतसिंह मण्ड़ावर, (दौसा) स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मालिक श्री गोपाल लाल अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द अग्रवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ पंजिकरण आवेदन पत्र होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक एलुमीनियम के भगोने मे लगभग 100 लीटर मिश्रित दूध आम जनता को विकय हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इसमें से नमूने की जॉच हेतु 2 लीटर मिश्रित दूध अच्छी तरह से हिलामिला कर एक साफ सूखे व खाली बर्तन में खरीदा जिसकी कीमत 120 रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

नमूने के लिए खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को डिजीटल वेट मशीन से तौलकर 500–500 मिलीलीटर चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक कि बोतलो मे बराबर डाला, चारो बोतलो मे 40–40 बून्दे प्रिजरवेटिव फार्मेलीन की डाली व ढक्कन लगाकर बन्द किया, उक्त चार नमूने तैयार करके चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनो पर चिपकाकर नमूनो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर नमूनो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर AG–3763 गोंद से चिपकाकर नमूनो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बाँधकर नमूनो को चार–चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर नमूनो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द नमूनो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियॅा तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म न. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफबीओ व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द भाग व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी मुख्यालय द्वारा दिनांक 24.08.2023 को खाद्य विश्लेषक, राज., अलवर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.08.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूने का चतुर्थ सील बन्द भाग व फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.08. 2023. को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (Mixed milk Loose) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 1530 / एक्ट / 2023 / 1552 दिनांक 06.09.2023 के अनुसार अमानक स्तर (Substandard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ किन्तु बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत न तो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया और न ही बहस के दौरान उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 1530 / एक्ट / 2023 / 1552 दिनांक 06.09.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (Mixed Milk Loose) के नमूने में Milk Solids not fat मात्रा 8.42 प्रतिशत पाई गयी है जो कि तय मानको के अनुसार कम से कम 8.50 प्रतिशत होनी चाहिये थी एवं Iodine value of Extracted fatty matter 50.92 पायी गई है। जो कि तय मानको के अनुसार 25.0 से 38.0 होनी चाहिए थी। Milk Solids की मात्रा कम पाये जाने एवं Iodine value of Extracted fatty matter की मात्रा अधिक पाये जाने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (Mixed Milk Loose) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (Mixed Milk Loose)का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 3 (1) (zx) एवं धारा 51 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस / 1530 / एक्ट / 2023 / 1552 दिनांक 06.09.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (Mixed Milk Loose) का नमूना अमानक (SubStandard) स्तर का पाया गया है। उक्त नमूना मिश्रित दूध के लिये निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए धारा 26 की उप धारा (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक (SubStandard) स्तर के खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध खुला (Mixed Milk Loose)का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री गोपाल लाल अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द अग्रवाल एफबीओ मैसर्स :–रमेश चन्द गोपाल दास, ग्राम पोस्ट गढ हिम्मतसिंह मण्डावर जिला दौसा पर 2,00,000 / –रूपये (अक्षरे दो लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 07.01.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7.1.2026

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
दिनांक:– 07.01.2026

कमांक / FSSA/ 1-3
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गोपाल लाल अग्रवाल पुत्र श्री रमेश चन्द अग्रवाल एफबीओ मैसर्स :–रमेश चन्द गोपाल दास, ग्राम पोस्ट गढ हिम्मतसिंह मण्डावर जिला दौसा पिन कोड 321609

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner